न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)

पीठासीन अधिकारी– रीना (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 87/2019

अनुवान लालूराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट 1955

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट 1956

निर्णय दिनांक 28.11.2019

लालूराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी भादासर दिखणादा तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।

–वादी–

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू।

–प्रतिवादी–

2. उमा पुत्री भंवरलाल जाति जाट निवासी भादासर दिखणादा तहसील सरदारशहर
3. प्रमेश्वरीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी भादासर दिखणादा तहसील सरदारशहर
4. बीरबलराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी भादासर दिखणादा तहसील सरदारशहर
5. हंसराज पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी भादासर दिखणादा तहसील सरदारशहर

–गौण प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः

1. श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट वास्ते वादी।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी एडवोकेट वास्ते गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 5।

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 301 तादादी 4.4600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 864/188 तादादी 2.4300 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 6.8900 हैक्टेयर रोही मौजा भादासर दिखणादा तहसील सरदारशहर में वादी का 1/5 हिस्सा अवस्थित है जिसमें वादी का नाम लालचन्द पुत्र भंववरलाल दर्ज है। जबकि वादी का शुद्ध नाम लालूराम पुत्र भंवर लाल है। वर्तमान में हुए राजस्व रिकॉर्ड में हुए अपडेशन एवं ऑनलाईन रिकॉर्ड संधारण के दौरान वल्दीयत भंवरलाल के स्थान पर भंववरलाल गलत दर्ज हो गया है।

वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम लालूराम पुत्र भंवर लाल के स्थान पर लालचन्द पुत्र भंववरलाल राजस्व कर्मचारियों की सहबन से रही त्रुटिवश अशुद्ध दर्ज कर दिया गया। लालूराम व लालचन्द एक ही व्यक्ति के दो भिन्न–भिन्न नाम हैं। भंवरलाल के लालचन्द नाम की कोई संतान नहीं है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपना नाम शुद्ध करवाने की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड शुद्ध दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी का नाम उसके पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों में लालूराम पुत्र भंवर लाल अंकित है। जो कि सत्य व सही है। लालचन्द पुत्र भंववरलाल नाम वादी का वादगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। वादी का वास्तविक नाम लालूराम पुत्र भंवर लाल है जबकि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में लालचन्द पुत्र भंववरलाल अंकित होने से वादी को बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा अथवा अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादी को करना पड़ता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश दर्ज नाम लालचन्द पुत्र भंववरलाल के स्थान पर सही नाम लालूराम पुत्र भंवर लाल दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां हल्का पटवारी से प्राप्त की तो वादी को इस अशुद्ध राजस्व रिकॉर्ड का पता चला। इस कारण राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने से दावा अन्दर मियाद पेश है।

राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल करके वादी प्रतिवादी सं0 1 से मिला और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम लालचन्द पुत्र भंववरलाल के स्थान पर सही नाम लालूराम पुत्र भंवर लाल दर्ज करने का निवेदन किया तथा अन्य काश्तकारों की वल्दीयत भी सही करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं0 1 ने कहा कि SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादी की खातेदारी कृषि भूमि होने से है।

गौण प्रतिवादी सं0 2 वादी की बहिन है गौण प्रतिवादी सं0 3 माता है तथा गौण प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 वादी के भाई है। वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड गौण प्रतिवादी सं0 3 का नाम व पति का नाम सही है जबकि अन्य गौण प्रतिवादीगण की वल्दीयत वादी की तरह ही गलत अंकित की गई। वादी द्वारा इन्हें बतौर गौण प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया है ताकि वोह भी अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सके।

अतः वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर कृषि भूमियां ख0 नं0 301 तादादी 4.4600 हैक्टेयर व ख0 नं0 864/188 तादादी 2.4300 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 6.8900 हैक्टेयर रोही मौजा भादासर दिखणादा तहसील सरदारशहर के

राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम लालचन्द पुत्र भंववरलाल के स्थान पर सही नाम लालूराम पुत्र भंवर लाल दर्ज करने का आदेश प्रदान करें तथा गौण प्रतिवादी सं0 2, 4 व 5 की वल्दीयत भंववरलाल के स्थान पर सही वल्दीयत भंवरलाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की ओर से इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत कर दावे की सभी मदों को स्वीकार करना अंकित किया है एवं गौण प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 5 की वल्दीयत भी संशोधित कर भंववरलाल के स्थान पर भंवरलाल किये जाने का निवेदन किया है। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वादी के पिता का नाम भंववरलाल सहवन से अंकित हो गया तथा वादी का नाम लालचन्द के बजाय लालूराम व वादी के पिता का नाम भंववरलाल के बजाय भंवरलाल किया जाने में राज्यहित निहित नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत भादासर दिखनादा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में लालचन्द और लालूराम दोनों एक ही व्यक्ति है, अंकित किया गया है।

वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गये।

1. प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत् 2073—2076 की छायाप्रति।
2. आधार कार्ड की छायाप्रति।
3. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति।
4. पैन कार्ड की छायाप्रति।
5. राशन कार्ड की छायाप्रति।
6. मूल निवास की छायाप्रति।
7. बैंक पास बुक की छायाप्रति।
8. भामाशाह कार्ड की छायाप्रति।
9. ग्राम पंचायत भादासर दिखनादा का प्रमाण पत्र।
10. बैंक पास बुक इलाहाबाद बैंक शाखा सरदारशहर की छायाप्रति।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र, इकबाल जवाबदावा एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम लालूराम पुत्र भंवर लाल अंकित है एवं कार्यालय ग्राम पंचायत, भादासर दिखनादा का प्रमाण पत्र जो श्रीमती सुलोचना, सरपंच ग्राम पंचायत भादासर दिखनादा द्वारा जारी किया गया है में लालचन्द और लालूराम एक ही व्यक्ति के नाम होना अंकित किया गया है एवं प्रकरण में नाम परिवर्तन आदेश से राज्य हित भी प्रभावित नहीं होगा।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 301 तादादी 4.4600 हैक्टेयर व

खसरा नम्बर 864/188 तादादी 2.4300 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 6.8900 हैक्टेयर रोही मौजा भादासर दिखणादा तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम लालचन्द पुत्र भंववरलाल अशुद्ध है जिसे शुद्ध कर सही नाम लालचन्द उर्फ लालूराम पुत्र भंवर लाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को निम्नानुसार शुद्ध अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

क्र. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	भादासर दिखनादा	खसरा नम्बर 301 तादादी 4.4600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 864/188 तादादी 2.4300 हैक्टेयर	लालचन्द पुत्र भंववरलाल	लालचन्द उर्फ लालूराम पुत्र भंवर लाल

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

डिक्री ब मुकद्दमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
मुकदमा नम्बर 87/2019
अनुवान लालूराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट व श्री ओमप्रकाश चौधरी एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 301 तादादी 4.4600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 864/188 तादादी 2.4300 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 6.8900 हैक्टेयर रोही मौजा भादासर दिखणादा तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम लालचन्द पुत्र भंववरलाल अशुद्ध है जिसे शुद्ध कर सही नाम लालचन्द उर्फ लालूराम पुत्र भंवर लाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को करने के आदेश दिये जाते हैं।

....बीज..................................मुबलि ...

....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....

फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 11 सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत...................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	05	00	मिजान	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2019.12.05 16:21:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: